प्रकीर्ण वाद संख्या- १२६/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. २७३/२०१८)
श्रीमती निर्देश आदि बनाम कौशल किशोर आदि
<u>०९.११.२०२०</u>

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण सं. १ व २ क्रमशः श्रीमती निर्देश व नाबालिग आयुष जरिए संरक्षिका माँ श्रीमती निर्देश द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹ ४,६२,४११ न्यायाधिकरण में जमा की जा चुकी है। अतः प्रार्थीगण सं. १ व २ के हिस्से की राशि प्रार्थिया सं. १ के पक्ष में रिलीज किये जाने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने कथनों के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती निर्देश का शपथपत्र ४सी२ व स्वयं के आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. २७३/२०१८ श्रीमती निर्देश आदि बनाम कोशल किशोर आदि की पत्रावली व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती निर्देश ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि उक्त एवार्ड के विरूद्ध कोई अपील विचाराधीन नहीं है और न ही माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्रभावी है। एम.ए.सी.पी. सं. २७३/२०१८ में पारित निर्णय दिनाँकित १२.१२.२०१९ के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में ₹ ४,१८,००० मय ७ प्रतिशत ब्याज प्रार्थीगण/याचीगण सं १ लगायत ४ को दिलाए जाने हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से प्रार्थी सं. १ श्रीमती निर्देश को २,००,००० प्राप्त होने हैं जिसमें से १,००,००० उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना मे ३ वर्ष के लिये जमा किया जाना है तथा १,००,००० याचिया सं. १ श्रीमती निर्देश को एकाउण्ट पेयी चेक के जरिए नकद प्राप्त होनी है तथा प्रार्थी/याची सं. २ नाबालिग आयुष को उक्त प्रतिकर धनराशि में से ₹ १,१८,००० प्राप्त होने हैं, जो उसके वयस्क होने तक की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जानी है। प्रार्थी/याची सं. १ व २ को प्राप्त होने वाली धनराशि के अनुपात में ब्याज की धनराशि भी प्राप्त होनी है। तथा प्रकरण में जमा शेष धनराशि उक्त निर्णय के अनुसार याचीगण सं. ३ व ४ को प्राप्त होनी है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमांक ९ पर पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में **₹ ४,६२,४११** जमा होने का इन्द्राज है। मेरे विचार से मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण/याचीगण सं. १ व २ न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के प्रकाश में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट व एफ.डी.आर. के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी है।

<u>आदेश</u>

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २७३/२०१८ (प्रकीर्ण वाद सं. १२६/२०२० श्रीमती निर्देश आदि बनाम कौशल किशोर आदि) के प्रकरण में प्रार्थीगण सं. १ व २ क्रमशः निर्देश व आयुष अवयस्क जरिये संरक्षिका माँ श्रीमती निर्देश को अपने-अपने भाग की जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि में से निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें तथा सारिणी में वर्णित याची सं. ३ गुलाब सिंह व याचिया सं. ४ श्रीमती गीता रानी के भाग की शेष प्रतिकर धनराशि को धारित रखें।

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.09 15:08:53 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

1. Smt. Nirdesh	110625	23.92	FD for 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Smt. Nirdesh	110625	23.92	Elect. Mode RTGS/NEFT	2274000100090258	P.N.B. Lohagarh Jhansi	PUNB0227400
2. Aayush	130537	28.24	FD Up to his majority	___	Any Nationalized Bank	____
3. Gulab Singh	**55312**	**11.96**	**Keep the amount till further orders**	-------------	--------------	-------------
4. Smt. Geeta Rani	**55312**	**11.96**	**Keep the amount till further orders**	-------------	--------------	-------------
Total	**462411**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।